

संख्या-१७८ एक-10-2021

प्रेषक,

रेणुका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
गृह विभाग,  
उ0प्र0 शासन।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 20/04/2021

**विषय:- कोविड-19 वायरस के प्रकोप से निपटने हेतु पुलिस कर्मियों की प्रयोगार्थ पी0पी0ई0 किट आदि अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु राज्य आपदा मोबाक निधि से धनावंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-3ख-85 (कोरोना)-2021, दिनांक 15.04.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 वायरस के प्रकोप से निपटने हेतु पुलिस कर्मियों के प्रयोगार्थ पी0पी0ई0 किट व अन्य आवश्यकताओं—सेनेटाइजर, डिस्पोजल मास्क/ग्लब्स आदि के क्रय लिये निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹0 45,00,00,000/- (₹0 पैतालिस करोड़ मात्र) की धनराशि अग्रिम रूप से अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) डिस्पोजल मास्क के स्थान पर प्रत्येक पुलिस कर्मी को कपड़े के 02 मास्क जो प्रतिदिन धोने के पश्चात पुनः उपयोग हो सकते हैं, को क्रय किया जाय।
- (2) पी0पी0ई0 किट के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत " Guidelines on rational use of personal protective equipment" के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।
- (3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।
- (4) राज्य आपदा मोबाक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31 मार्च, 2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (6) राज्य आपदा मोबाक निधि से स्वीकृत उक्त धनराशि के व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0 सं0-2/1- 11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत- 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

मंवदीया  
Digitally Signed by रणुका  
Date: Tue Apr 20 17:44:10 IST  
2021  
Reason: Approved  
(रणुका कुमार)  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:- १७६१/ एक-10-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-।

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।  
सचिव, चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- 2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, मुख्यालय लखनऊ को उनके उपरोक्त पत्र के संदर्भ में।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
- 7- वित्त (व्यय -नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणवीर प्रसाद)  
सचिव।